



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255736
CG-DL-E-25072024-255736

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2799]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2799]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2936(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा उपबंधित प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, आदेश संख्या एम.VI-16/15/2021-खान VI, तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा जारी प्रत्यायित निजी गवेषण अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट 'प्रवर्ग क गवेषण अभिकरणों' के अधीन मैसर्स भूशिल्प माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित करती है।

2. अभिकरण उक्त दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वोक्त संक्रियाएं करेगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या अनुदत्त प्रत्यायन के अवसान होने या समाप्ति तक, जो भी पूर्वतर हो, वैध रहेगी।

[फा. सं. एम.VI-16/22/2022-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2936(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India, the Central Government hereby notifies M/s Bhushilp Mines and Minerals Pvt Ltd under 'Category A Exploration Agencies' as specified in the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines vide order number M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021.

2. The agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of three years from the date of publication or till expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.